महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या– 95 / 26–2–2022

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2022

विषयः–समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों (अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त), निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त) एवं आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत् एवं छात्रावासों में निवासरत् छात्रों की सुरक्षा हेतु रिट पिटीशन (सिविल) 483/2004, अविनाश मेहरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य (पी0आई0एल0) में दिए गए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश/निर्णय दिनांक 13.04.2009 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

कृपया जनहित याचिका (सिविल) 483/2004, अविनाश मेहरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य (पी0आई0एल0) में दिए गए मा0 उच्चतम न्यायालय आदेश/निर्णय दिनांक 13.04.2009 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा तत्समय अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किये गए थे।

प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसका समय–समय पर पुनरावलोकन आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.04.2009 में विर्निदष्ट दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवजनित दुर्घटनाओं से विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की सुरक्षा आवश्यक है, इस हेतु विद्यालय परिसर/छात्रावास, उनके कीड़ास्थल एवं छात्रों के अध्ययन हेतु कक्षा–कक्ष पूर्णतया निरापद होने चाहिए। संविधान प्रदत्त जीवन एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 21 एवं 21ए) के पूर्ण सुनिश्चयन हेतु विद्यालयों द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाना अभीष्ट है।

2– प्रदेश शासन इस तथ्य से भलीभांति अभिज्ञ (Well-informed) है कि वर्ष 2004 में तमिलनाडु राज्य के कुम्भकोणम नगर के एक निजी प्राथमिक विद्यालय में सुरक्षा संबंधी मानकों की अवहेलना के चलते हुई अग्नि–दुर्घटना में 93 बच्चों का दुखद अवसान हो गया था और इस परिप्रेक्ष्य में उक्त जनहित याचिका को निर्णीत करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्णय के 36 पृष्ठों में बहुआयामी संवीक्षा एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्राधिकारियों एवं अन्य हितबद्धपक्षों (stakeholders) को निर्देश दिये गये थे।

इसी सातत्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रवर्तनशील अंश (operative portion) निम्नवत् है :—

"We direct that:-

(i) Before granting recognition or affiliation, the concerned State Governments and Union Territories are directed to ensure that the buildings are safe and secured from every angle and they are constructed according to the safety norms incorporated in the National Building Code of India.

(ii) All existing government and private schools shall install fire extinguishing equipments within a period of six months.

(iii) The school buildings be kept free from inflammable and toxic material. If storage is inevitable, they should be stored safely.

(iv) Evaluation of structural aspect of the school may be carried out periodically. We direct that the concerned engineers and officials must strictly follow the National Building Code. The safety certificate be issued only after proper inspection. Dereliction in duty must attract immediate disciplinary action against the concerned officials.

(v) Necessary training be imparted to the staff and other officials of the school to use the fire extinguishing equipments."

3— उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह न केवल आवश्यक वरन अपरिहार्य है कि इस तथ्य की विधिवत जांच—पड़ताल की जाए कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त संदर्भित विस्तृत आदेश/निर्णय दिनांक 13.04.2009 का अक्षरशः अनुपालन समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों (अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0), एवं आश्रम पद्धति विद्यालयों/छात्रावासों में हो रहा है अथवा नहीं।

इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारियों द्वारा जांच—पड़ताल एवं निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्यों की छान—बीन एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.04.2009 में उल्लिखित समस्त दिशा—निर्देशों एवं संवीक्षा का अनुपालन आवश्यक है:—

(1) विद्यालयों में अग्नि—शमन उपकरण विधिवत् स्थापित हैं अथवा नहीं।

(2) विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ (शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी) अग्नि—शमन उपकरणों को प्रयोग करने हेतु विधिवत् दक्ष एवं प्रशिक्षत है अथवा नहीं, यह तथ्य बच्चों की सुरक्षा—चिंता (security concerns) के दृष्टिगत अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(3) मा0 उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के अनुसार विद्यालय भवन निर्मित हों तथा सक्षम सरकारी अभियन्ता द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र विद्यालयों के पास उपलब्ध हो, प्रमाणपत्र 02 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(4) निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाय कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों का 'फायर एवं सेफ्टी आडिट' हुआ है ताकि सुरक्षा उपायों में किसी भी प्रकार की सम्भावित न्यूनता की पहचान हो सके।

(5) भूकम्प—प्रवण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में 'नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम' (NSSP) लागू होने एवं अनुपालन की स्थिति की समीक्षा भी की जाए।

(6) उपर्युक्त बिन्दुओं (1 से 5) के अनुपालन की स्थिति से भलीभांति संतुष्ट होने के उपरान्त ही अन्य मानकों की पूर्ति की दशा में विद्यालयों की मान्यता, सम्बद्धता,

वित्तीय सहायता एवं अनुदान की संस्तुति संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जायेगी अन्यथा नहीं।

(7) निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार संबंधित विद्यालय बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रत्येक पहलू को संतुष्ट करता है अथवा नहीं।

वर्णित स्थिति में रिट पिटीशन (सिविल) 483/2004, अविनाश महरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य (पी0आई0एल0) में दिए गए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश/निर्णय दिनांक 13.04.2009 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को स्वस्तर से निर्देशित करते हुए वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव।

संख्या– 95 (1)/26–2–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, जनजाति विकास विभाग/छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त संयुक्त एवं उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/विकास, उ0प्र0।
7– समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव।

39/GO.Rajiv